



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:21868

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भ.ना.सु.सं. के अंतर्गत संख्या -

484 सन् 2026

विजय बहादुर राजभर @ विजय बहादुर गुल्लू राजभरआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह जिला सुल्तानपुर एवं अन्यविरोधी पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : सनत सिंह, सुधीर कुमार

विरोधी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया।

2. धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता/482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत यह आवेदन प्राथमिकी/ आपराधिक वाद संख्या 0305/2025, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिराहबन्द और समाज

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विरोधी क्रियाकलाप गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- अखंडनगर, जिला- सुल्तानपुर में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि गैंग चार्ट में आवेदक के विरुद्ध केवल एक ही मामला दर्शाया गया है और उक्त मामले में आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। जमानत आदेश जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न है। गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों के अलावा, आवेदक का दो अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, जिसका विवरण जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 13 में दिया गया है और उक्त मामलों में भी आवेदक को जमानत दी गई है। जमानत आदेशों की प्रतियां जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के अनुलग्नक संख्या 5 के रूप में संलग्न हैं।

4. यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है। आवेदक मुकदमे में सहयोग करने का वचन देता है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया है।

6. इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि आवेदक को गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामले में जमानत पर रिहा किया जा चुका है; गैंग चार्ट में दर्शाए गए मामले के अलावा, दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास जमानत आवेदन के समर्थन में दायर शपथपत्र के प्रस्तर संख्या 13 में विधिवत स्पष्ट किया गया है; जमानत आदेश भी सामूहिक रूप से अनुलग्नक संख्या

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5 के रूप में संलग्न किए गए हैं और आवेदक द्वारा वाद में सहयोग करने का वचन दिया गया है, न्याय के हित में यह उचित होगा कि आवेदक की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आवेदक विजय बहादुर राजभर उर्फ गुल्लू राजभर को आज से बीस दिनों के भीतर अधीनस्त न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। उनके आत्मसमर्पण पर, अधीनस्त न्यायालय उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करेगी, बशर्ते वे अधीनस्त न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र और दो जमानती प्रस्तुत करें, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने, धमकाने या वादा करने से परहेज करेगा, जिससे वह न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से हतोत्साहित हो सकता है या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ हो सकती है;
- (ii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं करेगा;
- (iii) आवेदक किसी भी अभियोजन गवाह को प्रभावित करने या डराने का प्रयास नहीं करेगा;
- (iv) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से विशेष रूप से छूट न दी गई हो;
- (v) उपर्युक्त शर्तों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, परीक्षण न्यायालय आवेदक को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा;

कोई भी अन्य उचित प्रतिबंध/ शर्तें जो अधीनस्त न्यायालय उचित समझे, लगाई जा सकती हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में परीक्षण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

9. उपरोक्त के मद्देनजर, अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

मार्च 26, 2026

आनंद/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।